# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
# (जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.**

अपील संख्या – 27/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/127

**प्रार्थी/अपीलार्थी :–**

श्री मो. साहेब खां,
निवासी 33 ए, इन्दिरा कोलोनी,
बांसवाडा मो.नं. 9785122855

बनाम

**अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–**

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी)
तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)

## निर्णय

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

दिनांक :– 19–11–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **11–08–2025 (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 878011)** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **27–10–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने दिनांक **12–11–2025** को उपस्थित होने सूचित किया गया। दिनांक 14–[illegible] नोटिस बाद तामिल पेश हुआ। नोटिस पर ही अपीलांट द्वारा आगामी [illegible] रेस्पोडेंट ने [illegible] प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में उपखण्ड क्षैत्र गढी में सरकारी जमीन को निजी खातेदारो के नाम दर्ज कराने के पश्चात् उक्त भूमि को यथास्थिति किया गया था जिसमें कितनी भूमि अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है एवं कितनी भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाना शेष है कि सूचना चाही गई थी। जिस सम्बन्ध में कार्यालय में दर्ज कुल 10 प्रकरणो की तत्समय तक की कुल 83 पृष्ठो की सूचना तैयार कर श्री मो.साहेब खां (एड्वोकेट) को उपलब्ध करवाई गई थी। प्राप्ति रसीद संलग्न है।

अपीलार्थी दिनांक 19.11.2025 को अनुपस्थित है। हमने प्रस्तुत अपील मैमो एवं सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **11–08–2025** का एवं पत्रावली का अवलोकन एवं उस पर मनन किया अपील मैमो अनुसार अपीलार्थी का मुख्य बिन्दु यह है कि माह मई के बाद की कोई प्रोसेडिंग एवं पत्रावली नही दी गई है।

प्रार्थी के आवेदन दिनांक **11–08–2025** का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वांछित तीन बिन्दुओ से सम्बन्धित सूचना सृजनात्मक, विस्तृत एवं आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। तथापि रेस्पोडेंट लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को [illegible] कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन/ निरीक्षण हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा चिन्हित करने पर नियमानुसार सूचना /विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **19–11–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner